रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2012/ज्येष्ठ 9, 1934

No. 246] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2012/JYAISTHA 9, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2012

सा.का.नि. 408(अ).—केन्द्रीय सरकार भूमिगत रेल(संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 4 की उपधारा(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैट्रो रेल के लिए सलाहकार बोर्ड के कारबार के संचालन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमिगत रेल(कारबार के संचालन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' से मैट्रो रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 अभिप्रेत है;

(ख) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित मैट्रो रेल के लिए सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) 'अध्यक्ष' से मैट्रो रेल के लिए सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) 'सदस्य' से मैट्रो रेल के लिए सलाहकार बोर्ड के सदस्य अभिप्रेत हैं।

1949 GI/2012

3. **बैठक** :- अध्यक्ष, जब कभी उचित समझे और सदस्यों जिनकी संख्या आधे से अन्यून से, लिखित में किसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाएगा ।

4. **बैठकों की सूचना** :- (1) अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान का विनिश्चित करेगा ।

(2) सामान्यतः, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को सूचना जो इसकी नियत तारीख से पन्द्रह दिन से अन्यून, दी जाएगी ।

(3) बैठक में प्रस्तावित कार्यों के संचालन की सूची सूचना के साथ संलग्न की जाएगी।

(4) यदि आकस्मिक बैठक बुलाया जाना आवश्यक है तो प्रत्येक सदस्य को कम से कम सात दिन अन्यून पहले सूचना दी जाएगी ।

5. **बैठक का अध्यक्ष** :- (1) अध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने की दशा में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने बीच से एक सदस्य को निर्वाचित कर सकेंगें ।

(2) अध्यक्ष बैठकों की संख्या और उसका स्थान निर्धारित करने तथा इसके कारबार के संचालन के संबंध में प्रक्रिया अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

6. **गणपूर्ति** :-किसी बैठक में किसी कारबार का संचालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हो :

परन्तु यदि किसी बैठक में एक-तिहाई सदस्य उपस्थिति नहीं होते है तो अध्यक्ष बैठक को एक घण्टे या ऐसे समय के लिए, जो वह समुचित समझे, स्थगित कर सकता है और ऐसे स्थगन के पश्चात् इसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या को विचार किए बिना कारबार का निपटान करना विधि पूर्ण होगा ।

7. **कारबार का निपटाना**- कोई कारबार, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, पर इसकी बैठक में विचार किया जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, सभी सदस्यों को उनकी राय के लिए आवश्यक कागज-पत्र निर्दिष्ट कर सकेगा:

परन्तु, यह और किसी प्रश्न जो इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है, का विनिश्चित तभी किया जाएगा यदि बोर्ड के सदस्यों का बहुमत दो-तिहाई से अन्यून न हो तथा जहां कोई बहुमत नहीं है या जहां अध्यक्ष ऐसा विनिश्चिय करता है, बोर्ड की किसी सम्यक रूप में आयोजित बैठक में प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

8. **मतदान की पद्धति**- सामान्य रुप से मतदान हाथ उठा कर किया जाएगा और यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान के लिए मांग करता है या यदि अध्यक्ष ऐसा विनिश्चिय

करता है, गुप्त मतदान द्वारा मतदान होगा तथा ऐसी रीति में जो अध्यक्ष द्वारा वांछा की जाए ।

9. **बहुमत द्वारा विनिश्चय:** बोर्ड की किसी बैठक में प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चिय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मत के बहुमत के द्वारा लिया जाएगा:

परन्तु, समान मत होने की दशा में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अपना निर्णायक मत डालेगा ।

10. **बैठक की प्रक्रिया:-** (1) प्रत्येक बैठक की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ, जिसमें उपस्थित सदस्यों के नाम, बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को, केन्द्रीय सरकार को और सभी संबंधित मैट्रो रेल कारपोरेशन या मेट्रो रेल लिमिटेड जहां अधिनियम प्रवृत है, बैठक के समाप्त होनें के पश्चात्, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, अगली बैठक से पहले, जो सात दिन से अन्यून न हो, भेजा जाएगा ।

(2) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की ऐसे उपांतरणो के साथ जो अगली बैठक में आवश्यक समझे जाए, पुष्टि की जाएगी ।

[सं. के-14011/5/2012-एमआरटीएस (समन्वय)]

दीनदयाल, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2012

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules with respect to the procedure in regard to the transaction of the business of the Advisory Board for Metro Railways, namely :-

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called "The Advisory Board for the Metro Railways (Transaction of Business) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. - In these rules, unless the context is otherwise requires,-

(a) "The Act" means the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978;

(b) "Board" means the Advisory Board for Metro Railways constituted under section 4 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Advisory Board for Metro Railways;

(d) "Member" means a member of the Advisory Board for Metro Railways.

3. **Meetings.-** The Chairman may, whenever he thinks fit and shall within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one – half of the members, call a meeting of the Board.

4. **Notice of meetings.-** (1) The Chairman shall decide the date, time and place of every meeting.

(2) Ordinarily, notice of not less than fifteen days from the date of posting thereof shall be given to every member for each meeting of the Board.

(3) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be attached with the notice.

(4) If it is necessary to convene an emergent meeting, at least seven days notice shall be given to every member.

5. **Chairman of the meeting.-** (1) The Chairman shall preside at the meetings and in the event of the absence of the Chairman, the members present may elect one amongst themselves to preside at the meeting.

(2) The Chairman shall be authorised to determine the frequency and place of its meetings and procedure in regard to transaction of its business.

6. **Quorum.-** No business shall be transacted at any meeting unless at least **one – third** members are present:

Provided that if at any meeting less than one-third members are present, the Chairman may adjourn the meeting for an hour or so, as considered appropriate, and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members attending it.

7. **Disposal of business.-** Any business which requires consideration by the Board shall be considered at a meeting thereof:

Provided that the Chairman may, if he thinks fit, direct that the necessary papers may be referred for opinion to all members:

Provided further that the decision on any question which is so referred shall be acted upon only if it is supported by not less than a two – thirds majority of the members of the Board and where there is no majority or where the Chairman so decides, the question shall be considered at a duly convened meeting of the Board.

8. Method of voting.- Voting shall ordinarily be by show of hands and if any member asks for voting by ballot, or if the Chairman so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairman may desire.

9. Decision by majority.- Every question at a meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting:

Provided that in the case of equality of votes, the Chairman or the person presiding shall have a casting vote.

10. Proceedings of the meeting.- (1) The proceedings of each meeting showing, inter alia, the names of the members present thereat shall be forwarded to each member of the Board, to the Central Government and to all concerned Metro Railway Corporation or Metro Rail Limited where the Act is in force, as soon after the meeting as possible and, in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The minutes of each meeting shall be confirmed with such modifications as may be considered necessary at the next meeting.

[No. K-14011/5/2012-MRTS (Coord)]

DEEN DAYAL, Under Secy.

1949907/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.